प्रथम सूचना रिपोर्ट

(अन्तर्गत धारा 154 दण्ड प्रकिया संहिता)

1. जिला. चौकी,एसीबी, स्पेशल यूनिट अजमेर .....थाना.सीपीएस, एसीबी, जयपुर वर्ष ... 2023.....

प्र. इ. रि. स. 295/2023 दिनांक 17/11/2023

2. (अ) अधिनियम ... भ्र0नि0अधिनियम(यथा सशोंधन 2018) अधिनियम 1988 .....धारायें 7 पी0सी0 एक्ट 1988 (यथा संशोधन 2018).....

(ब) अधिनियम भारतीय दण्ड संहिता धारायें. .....

(स) अधिनियम .....धारायें.....

(द) अन्य अधिनियम एवं धारायें .....

3. (अ) रोजनामचा आम रपट सख्या 285 समय 3:30 P.M.

(ब) अपराध घटने का दिन–दिनांक 16.11.2023 समय 05.54 पी.एम. .....

(स) थाना पर सूचना प्राप्त होने का दिनांक 08.11.2023 समय.....12.25 पी.एम.....

4. सूचना की किस्म :– लिखित/मौखिक – लिखित

5. घटनास्थल :–

(अ) पुलिस थाना से दिशा व दूरी –एसीबी चौकी स्पेशल यूनिट अजमेर से उत्तर दिशा में करीब 80 किलोमीटर.....

(ब) पता – मकान परिवादी श्री मदनलाल सोनी बालाजी का बाग कस्बा बोरावड तहसील मकराना जिला नागौर .....बीट सख्या .....जरायमदेही सं.....

(स) यदि इस पुलिस थाना से बाहरी सीमा का है तो पुलिस थाना.....जिला.....

6 परिवादी/सूचनाकर्ता :–

(अ) नाम.... श्री मदनलाल सोनी .....

(ब) पिता का नाम श्री हुक्मीचंद सोनी.....

(स) जन्म तिथि /वर्ष साल.....74 साल.....

(द) राष्ट्रीयता.....भारतीय .....

(य) पासपोर्ट सख्या .....जारी होने की तिथी.....जारी होने की जगह.....

(र) व्यवसाय..... .....

(ल) पता ... बालाजी का बाग कस्बा बोरावड तहसील मकराना जिला नागौर .....

7 ज्ञात/अज्ञात संदिग्ध अभियुक्तो का ब्यौरा सम्पूर्ण विशिष्टियों सहित :–

1. श्री सरवर खां पुत्र श्री अल्लादीन खान जाति कायमखानी उम्र 50 वर्ष निवासी भोमिया का वास छोटी छापरी पुलिस थाना डीडवाना हाल चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी एडीजे कोर्ट डीडवाना जिला डीडवाना कुचामन .....

8 परिवादी/ सूचनाकर्ता द्वारा इत्तला देने में विलम्ब का कारण :– कोई नही.....

9. चुराई हुई/लिप्त सम्पति की विशिष्टियां (यदि अपेक्षित हो तो अतिरिक्त पन्ना लगायें) .....25,000 रू0 रिश्वत राशि.....

10. चुराई हुई/लिप्त सम्पति का कुल मूल्य .... पंचनामा/ यू.डी. केस सख्या (अगर हो तो).....25,000 रू. रिश्वत राशि .....

11 .....

विषय वस्तु प्रथम इत्तिला रिपोर्ट (अगर अपेक्षित हो तो अतिरिक्त पन्ना लगाये)

सेवा में श्रीमान् अति0 पुलिस अधीक्षक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, स्पेशल यूनिट, अजमेर विषय रिश्वत राशि लेते हुए रंगे हाथ पकडवाने हेतू महोदय, निवेदन है कि मैं प्रार्थी मदनलाल पुत्र हुकमीचन्द जाति सोनी उम्र 74 वर्ष निवासी बालाजी का बाग बोरावड तहसील मकराना जिला डीडवाना कुचामन का मूल निवासी हूं। मेरे छोटे भाई रामस्वरूप एवं लडके पवन सोनी के विरूद्ध पुलिस थाना खुनखुना मे प्रकरण संख्या 111/21 दिनांक 2.07.21 को दर्ज हुआ था। जिसमे अपर सैशन न्यायालय डीडवाना मे चालान पेश किया जा चुका है। जिसमे न्यायालय के कोर्ट केस संख्या 21/22 सरकार बनाम् पवन विचाराधीन है। उक्त प्रकरण के सिलसिले मे एडीजे कोर्ट डीडवाना मे पदस्थापित श्री सरवर खां नाम का चपरासी दिनांक 23.10.23 को मेरे घर पर बोरावड आया तथा उसने मेरे भतीजे के उक्त प्रकरण मे जज साहब श्री राजेश जी गजरा एवं कोर्ट के रीडर श्री संजय कुडी से मिलकर हमारे पक्ष मे फैसला करवाकर हमें बरी करवाने के लिए मेरे से 50,000 रू0 की मांग की तब मैंने उनसे कहा कि आप तो कोर्ट में चपरासी हो। आप कैसे फैसला करवा सकते हो तो उसने कहा कि मैं साहब के पास ही रहता हूँ। मैं उनसे मिलकर ही आया हूँ। मैंने जज साहब से मिलकर कई फैसले करवा दिये। मैंने उसको मना कर दिया कि मेरे पास पैसे नहीं है। परन्तु उसके बावजूद भी वह मेरे से लगातार मोबाईल फोन पर बात कर 50,000 रू0 की मांग कर रिश्वत राशि मांग रहा है। मै ऐसे भ्रष्ट व्यक्ति को रिश्वत राशि नहीं देना चाहता हूँ बल्कि रिश्वत राशि लेते हुए रंगे हाथो पकडवाना चाहता हूँ। कानूनी कार्यवाही करें। प्रार्थी एसडी मदनलाल पुत्र श्री हुकमीचन्द सोनी बालाजी का बाग बोरावड मो0 9414547904

कार्यवाही पुलिस भ्र0नि0ब्यूरो, स्पेशल यूनिट–अजमेर

प्रकरण हाजा के हालात इस प्रकार निवेदन है कि दिनांक 08.11.2023 को श्री राकेश कुमार वर्मा उप अधीक्षक पुलिस को भ्र0नि0ब्यूरो, स्पेशल यूनिट–अजमेर पर उपरोक्त आशय की

लिखित रिपोर्ट प्रस्तुत की। प्रस्तुत शुदा प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों के सम्बन्ध में परिवादी श्री मदनलाल से पूछताछ की गई तो उसने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों की ताईद करते हुए बताया कि मेरे भाई श्री रामस्वरूप व उसके पुत्र श्री पवन कुमार के विरूद्ध पुलिस थाना खुनखुना जिला डीडवाना कुचामन में एक प्रकरण 111/21 दिनांक 02.07.21 को मारपीट एवं छेडछाड का दर्ज हुआ था। जिसमें सम्बन्धित थाने द्वारा अनुसंधान पूर्ण कर श्रीमान् अपर एवं सैशन न्यायालय डीडवाना में चार्जशीट प्रस्तुत कर दी। जिसमें मेरे भाई एवं भतीजे के विरूद्ध चार्ज बहस होकर मुकदमा जैर विचाराधीन है। जिसमें गवाह की तलबी की जाकर बयान चल रहे हैं, उक्त मुकदमे के सम्बन्ध में दिनांक 23.10.23 को मेरे घर बोरावड स्थित मकान पर एडीजे कोर्ट डीडवाना में पदस्थापित चपरासी श्री सरवर खां घर पर आया तथा उसने जज साहब श्री राजेश जी गजरा एवं कोर्ट के रीडर श्री संजय कुडी के कहे अनुसार मेरे भाई व भतीजे को उक्त प्रकरण में फैसला करवाकर हमें बरी करवाने की एवज में मेरे से 50,000 रू0 की रिश्वत राशि की मांग की। मैंने उसको कहा कि आप तो चपरासी हो आप यह काम कैसे करवा सकते हो, तो उसने बताया कि मेरी उनसे मुलाकात है तथा मैं उनके पास ही पदस्थापित हूँ, उनके कहेनुसार ही मैं आपके पास आया हूँ। आपका प्रकरण भी उनकी अदालत में ही चल रहा है। तब मैंने उसको मना कर दिया कि मेरे पास पैसे नहीं है, मुझे आपसे फैसला नहीं करवाना, तो उसने कहा कि आप देख लो मैंने पहले भी कई लोगों के फैसले करवा दिए हैं, मेरे मना करने के बाद वह वहा से चला गया। उसके बावजूद भी श्री सरवर खां अभी तक भी मेरे पास बार–बार मोबाईल पर फोन कर फैसला करवाने के बदले में 50,000 रू0 रिश्वत राशि की मांग कर रहा है। दिनांक 07.11.23 को समय करीब 09.54 ए0एम0 के आस–पास सरवर खां ने अपने मोबाईल नं0 9413709932 से मेरे मोबाईल नम्बर 9414547904 पर कॉल किया तो मैंने रिसीव नहीं किया। उसके बाद उसने बार–बार मेरे को कॉल किए, तब मैंने अपने मोबाईल नम्बर से उसके मोबाईल पर वार्ता की तो उसने मेरे को उपरोक्त वार्ता कहकर मुकदमें में हमारे पक्ष में फैसला कराने के लिए 50,000 रू0 की मांग की। मैं ऐसे व्यक्ति को रिश्वत राशि नहीं देना चाहता हूँ तथा रिश्वत राशि लेते हुए को रंगे हाथो पकडवाना चाहता हूँ। मेरा सरवर खां से किसी प्रकार का कोई लेन–देन अथवा उधार की राशि बकाया नहीं है एवं ना हि किसी प्रकार की उससे रंजिश अथवा द्वेष है। मैं 74 वर्ष का होकर वरिष्ठ नागरीक हूँ। माननीय अदालत में मेरे एवं मेरे भाई तथा भतीजे में किसी प्रकार की कोई राजकीय राशि अथवा जुर्माने की राशि बकाया नहीं है। उक्त प्रकरण में गवाह की अग्रिम सुनवाई की तारीख 21.11.2023 तय कर रखी है। प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वयं द्वारा लिखित होकर अपने हस्ताक्षर होने बाबत अवगत कराया। परिवादी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र व दरियाफ्त के आधार पर मामला पीसी एक्ट (संशोधन) 2018 का गठित होना पाया जाने से प्रक्रियानुसार रिश्वत राशि मांग का सत्यापन कराया जाना आवश्यक है। मन् उप अधीक्षक पुलिस द्वारा परिवादी को आरोपी से वार्ता करने के सम्बन्ध में पूछताछ की गई तो परिवादी ने कहा कि मेरी व आरोपी के मध्य मोबाईल पर भी वार्ता हो सकती है। वह मेरे से मोबाईल फोन एवं आमने–सामने दोंनो प्रकार से मेरे कार्य व रिश्वत राशि के सम्बन्ध में वार्ता करता है। इस पर मन् उप अधीक्षक पुलिस ने परिवादी द्वारा मोबाईल फोन पर वार्ता होने के तथ्य बताए जाने पर कार्यालय की आलमारी से डिजीटल वॉइस रेकार्डर निकालकर नया मैमोरी कार्ड ईश्यू करवाकर परिवादी श्री मदनलाल को वॉइस रेकार्डर चालू व बंद करने की समझाईश कर श्री सरवर खां के मोबाईल नम्बर 9413709932 पर परिवादी के मोबाईल नम्बर 9414547904 से समय करीब 12.58 पीएम पर परिवादी के मोबाईल से फोन करवाकर मोबाईल का स्पीकर ऑन कर कार्यालय के डिजीटल वॉइस रेकार्डर में परिवादी व आरोपी के मध्य हुई वार्ता को रेकार्ड किया गया। रेकार्ड वार्ता को मन् उप अधीक्षक पुलिस द्वारा डिजीटल वॉइस रेकार्डर में लगे मैमोरी कार्ड को कार्यालय के लेपटॉप की सहायता से संधारित कर सुना गया तो आरोपी श्री सरवर खां द्वारा परिवादी के भाई श्री रामस्वरूप एवं उसके पुत्र श्री पवन कुमार को उसके विरूद्ध माननीय एडीजे कोर्ट डीडवाना में सुनवाई में चल रहे प्रकरण में बरी का फैसला करवाने की एवज में 50,000 रू0 की मांग करते हुए पूर्व में 25,000 रू0 की रिश्वत राशि लेना स्वीकार करते हुए शेष 25,000 रू0 की और मांग किए जाने की ताईद हुई जो परिवादी द्वारा दीपावली बाद दिया जाना वार्ता से स्पष्ट है। रिश्वत राशि मांग सत्यापन वार्ता के अनुसार आरोपी श्री सरवर खां चपरासी एडीजे कोर्ट डीडवाना द्वारा परिवादी श्री मदनलाल सोनी से उसके भाई एवं भतीजे के प्रकरण में रिश्वत राशि 25,000 रू0 की मांग किया जाना स्पष्ट होने से परिवादी को

25,000 रू0 के नोटों की व्यवस्था करने हेतु कहा गया तो परिवादी ने कहा कि मेरे पास अभी 25,000 रू0 की व्यवस्था नहीं है। मैं आईन्दा आरोपी से हुई वार्ता एवं रूपये की व्यवस्था होने के उपरान्त आपको सूचित कर कार्यालय में उपस्थित हो जाउंगा। इस पर मन् उप अधीक्षक पुलिस द्वारा परिवादी को आवश्यक हिदायत प्रदान कर रिश्वत राशि की व्यवस्था कर उपस्थित आने हेतु पाबन्द कर रूख्स्त किया गया। आरोपी व परिवादी के मध्य दिनांक 08.11.23 को समय 12.58 पीएम पर दर्ज की गई वार्ता का मूल मैमोरी कार्ड, परिवादी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र मय संलग्न दस्तावेज को मन् उप अधीक्षक पुलिस ने सुरक्षित आलमारी मे रखा। आईन्दा परिवादी के उपस्थित आने पर गवाहान की तलबी की जाकर अग्रिम ट्रेप कार्यवाही अमल में लाई जावेगी। मन् उप अधीक्षक पुलिस द्वारा कार्यालय के स्टाफ को भी आवश्यक हिदायत प्रदान कर आईन्दा उपस्थित रहने हेतु निर्देशित किया गया। दिनांक 14.11.23 समय 11.07 एएम पर परिवादी श्री मदनलाल सोनी ने मन् उप अधीक्षक पुलिस को जरिये मोबाईल फोन अवगत कराया कि मेरे पास रिश्वत राशि 25,000 रू0 की व्यवस्था हो चुकी है। आरोपी श्री सरवर खां चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी का उसके मोबाईल से मेरे पास मेरे मोबाईल पर फोन आया व बताया कि मै दिनांक 16.11.23 को आपके पास बोरावड आ जाउंगा तथा रिश्वत राशि लेन–देन किए जाने हेतु दिनांक 16.11.23 को तारीख नियत की है। आरोपी से मेरी पूर्व में भी दो–तीन मर्तबा वार्ता हो चुकी है तथा वह रिश्वत राशि लेने के लिए आतुर है। जिस पर मन् उप अधीक्षक पुलिस ने परिवादी को आवश्यक हिदायत देकर रिश्वत राशि सहित दिनांक 16.11.23 को समय 09.30 एएम पर कार्यालय में उपस्थित होने हेतु निर्देशित किया। दिनांक 16.11.23 को परिवादी श्री मदनलाल सोनी उपस्थित कार्यालय आया व मन् उप अधीक्षक पुलिस को बताया कि मैं रिश्वत राशि 25,000 रू0 आरोपी श्री सरवर खान को देने के लिए लेकर आया हूँ। मेरी उससे रिश्वत राशि लेन–देन के सम्बन्ध में पूर्व में भी वार्ता हो चुकी है तथा उसने आज दिनांक को रिश्वत राशि लेना तय किया है। जिस पर मन् उप अधीक्षक पुलिस ने अग्रिम ट्रेप कार्यवाही की जाने हेतु स्वतन्त्र गवाहान की आवश्यकता होने से कार्यालय से एक तहरीर जारी कर कार्यालय मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, अजमेर से स्वतन्त्र गवाह लाने हेतु कार्यालय के श्री नरेन्द्र कुमार उप निरीक्षक को रवाना किया गया। कार्यालय के श्री नरेन्द्र कुमार उप निरीक्षक मय दो स्वतन्त्र गवाहान के कार्यालय में उपस्थित आये जिनको मन् उप अधीक्षक पुलिस ने अपना परिचय देते हुए उनका परिचय पूछा तो उन्होने अपना नाम (1) श्री श्याम इन्दोरिया हाल अतिरिक्त विकास अधिकारी, कार्यालय जिला परिषद अजमेर व (2) श्री टीकमचंद वर्मा हाल कनिष्ठ सहायक कार्यालय जिला परिषद अजमेर होना बताया। उपस्थित गवाहान को ट्रेप कार्यवाही के बारे में अवगत कराते हुए बताया कि किसी गोपनीय कार्यवाही में आपकी स्वतन्त्र गवाहान के रूप में आवश्यकता है। अग्रिम ट्रेप कार्यवाही की जाने हेतु परिवादी व स्वतन्त्र गवाहान का आपस में एक दूसरे से परिचय करवाया गया। उपस्थित स्वतन्त्र गवाहान को परिवादी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र एवं मांग सत्यापन के समय दर्ज की गयी वार्ता का मूल मैमोरी कार्ड निकाल कर की जाने वाली कार्यवाही के बारे में अवगत कराया। परिवादी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र गवाहान को पढकर सुनाया गया। गवाहान द्वारा प्रार्थना पत्र सुनकर एवं पढकर अंकित तथ्यों व संलग्न दस्तावेजो के बारे में परिवादी से पूछताछ कर गवाहान ने अपनी सन्तुष्टि जाहिर करते हुए स्वतन्त्र गवाह रहने की सहमति प्रदान की। डिजिटल वाईस रिकार्डर के मैमोरी कार्ड में दर्ज वार्ता दिनांक 08.11.2023 को रिश्वत राशि मांग सत्यापन के समय जरिए मोबाईल फोन से आपस में एक–दूसरे से हुई दर्ज वार्ता को चलाकर सुनाया गया तो गवाहान ने आरोपी श्री सरवर खान द्वारा परिवादी श्री मदनलाल सोनी के भाई श्री रामस्वरूप एवं भतीजे पवन सोनी के विरूद्ध माननीय अपर मुख्य न्यायाधीश डीडवाना की अदालत में चल रहे कोर्ट केस नं0 21/22 सरकार बनाम् पवन में बरी कराने के फैसले की एवज में रिश्वत राशि 50,000 रू0 की मांग कर 25,000 रू0 पूर्व में लेने की ताईद करते हुए शेष 25,000 रूपये रिश्वत राशि की मांग किए जाने की ताईद हुई। ब्यूरो की प्रकियानुसार समय 01.10 पीएम पर कार्यालय के श्री अर्जुनलाल कानिस्टेबल से वाईस रिकार्डर में मूल मैमोरी कार्ड को डालकर वाईस रिकार्डर को कार्यालय के कम्प्यूटर की सहायता से ऑपरेट कर परिवादी व स्वतन्त्र गवाहान की उपस्थिति में रिश्वत राशि मांग सत्यापन वार्ता की फर्द ट्रांसक्रिप्ट शब्द–ब–शब्द तैयार की गई। फर्द पर संबंधित गवाहान के हस्ताक्षर करवाये गये। उक्त मूल मैमोरी कार्ड में दर्ज आवाज की हेश वेल्यू कार्यालय के लेप–टॉप से निकाली जाकर प्रिण्ट पर सम्बन्धित गवाहान के हस्ताक्षर कराये जाकर शामिल

पत्रावली किये गए। मूल मैमोरी कार्ड में रिकार्ड की गई वार्ता को कार्यालय के कम्प्यूटर की सहायता से तीन पेन ड्राईव में संधारित कर तैयार करवाये गए। मूल मैमोरी कार्ड को निरन्तरता की जांच के लिये कपड़े की थेली में डालकर एफ0एस0एल0 हेतु, एक पेन–ड्राईव को कपड़े की थेली में डालकर न्यायालय हेतु तथा दूसरे पेन–ड्राईव को कपड़े की थेली में डालकर आरोपी हेतु सिल्ड किया जाकर सील चिट पर संबंधित गवाहान के हस्ताक्षर करवाये जाकर जमा मालखाना कराया जाने हेतु मालखाना ईन्चार्ज को सुपुर्द किया गया। तीसरे पेन–ड्राईव को कागज के लिफाफे में रख कर अनुसंधान अधिकारी हेतु शामिल पत्रावली किया गया। तत्पश्चात परिवादी श्री मदनलाल सोनी के मोबाईल से आरोपी श्री सरवर खान के मोबाईल पर वार्ता करायी गयी तो वार्ता के अनुसार आरोपी ने स्वयं को रिश्वत राशि लेने हेतु परिवादी श्री मदनलाल सोनी के बोरावड स्थित आवास पर आने हेतु अवगत कराया। परिवादी व आरोपी के मध्य हुई वार्ता को परिवादी के मोबाईल का स्पीकर ऑन कर कार्यालय के डिजीटल वॉइस रेकार्डर मय मैमोरी कार्ड में रेकार्ड किया गया। चूंकि रिश्वत राशि आरोपी श्री सरवर खा चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी एडीजे कोर्ट डीडवाना द्वारा दिनांक 16.11.23 को ही प्राप्त की जानी तय होने से परिवादी श्री मदनलाल सोनी को रिश्वत राशि पेश करने हेतु कहा तो उसने गवाहान के समक्ष आरोपी श्री सरवर खां चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश, डीडवाना जिला डीडवाना कुचामन को रिश्वत में दी जाने वाली राशि अपनी जेब में से निकाल कर पांच–पांच सौ रूपये के 50 नोट कुल 25,000 रूपये की राशि प्रचलित भारतीय मुद्रा के नोट प्रस्तुत किए। प्रस्तुत नोटों के नम्बर फर्द में अंकित कर नोटों के दोनों ओर कार्यालय के श्री सन्देश चौधरी कनिष्ठ सहायक से फिनोफ्थलीन पाउडर लगवाकर सोडियम कार्बोनेट एवं फिनोफ्थलीन पाउडर की रासायनिक प्रक्रिया को समझाया जाकर फर्द पेशकशी एवं सुपुर्दगी नोट व दृष्टान्त फिनोफ्थलीन पाउडर एवं सोडियम कार्बोनेट पाउडर अलग से तैयार की जाकर संबंधित गवाहान के हस्ताक्षर करवाकर शामिल पत्रावली की। समस्त स्टाफ एवं गवाहान के हाथ साबुन व साफ पानी से धुलवायें जाकर परिवादी श्री मदनलाल सोनी को रिश्वत राशि देने के उपरान्त किये जाने वाले ईशारे के बारे में अवगत कराया गया तथा आवश्यक हिदायत बरतने के निर्देश दिये गये। समय 02.45 पीएम पर मन उप अधीक्षक पुलिस, मय हमराहियान स्टाफ श्री नरेन्द्र कुमार उप निरीक्षक पुलिस, श्री कन्हैयालाल स.उ.नि., श्री राजेश कुमार हैड कानि. 114, श्री गोविन्द वर्मा हैड कानि0 नं0 59, श्री दामोदर कानि0 नं0 435, श्री कपिल कानि0 व स्वतन्त्र गवाह श्री श्याम इन्दोरिया व श्री टीकमचंद वर्मा एवं परिवादी श्री मदनलाल सोनी व श्री तुलछाराम हैड कानि0, श्री अर्जुन कानि0 को वॉइस रेकार्डर मय मैमोरी कार्ड के सुपुर्द कर परिवादी के निजी वाहन से रवाना किया गया तथा उसके पीछे–पीछे मन् उप अधीक्षक पुलिस मय उपरोक्त हमराहियान स्टाफ के कार्यालय के श्री मनीष कुमार चालक के सरकारी वाहन बोलेरो व प्राईवेट वाहन से मय ट्रेप बाक्स, लेपटाप व प्रिन्टर के बाद आवश्यक हिदायत के बोरावड की ओर रवाना हुए तथा श्री सन्देश चौधरी कनिष्ठ सहायक को कार्यालय पर ही उपस्थित रहने के निर्देश प्रदान किये। समय 04.50 पीएम पर मन् उप अधीक्षक पुलिस मय हमराहियान गवाहान परिवादी व स्टाफ के परिवादी के निवास स्थान बालाजी का बाग बोरावड पहुचे। जहा परिवादी ने मन् उप अधीक्षक पुलिस को अवगत कराया कि समय करीब 04.17 पीएम के आस–पास आरोपी ने मेरे मोबाईल फोन पर वार्ता कर अवगत कराया कि मै कुचामन के पास पहुच चुका हूँ तथा जल्दी ही आपके बोरावड स्थित निवास पर आ जाउंगा। आरोपी व परिवादी के मध्य हुई उक्त वार्ता को कार्यालय के डिजीटल वॉइस रेकार्डर मे श्री अर्जुनलाल कानि0 नं0 244 के द्वारा परिवादी के मोबाईल का स्पीकर ऑन कर रेकार्ड किया गया। उक्त दर्ज वार्ता को मन् उप अधीक्षक पुलिस द्वारा सुना गया तो परिवादी द्वारा बताये तथ्यों की ताईद हुई। परिवादी से आरोपी की समय 04.17 पीएम पर वार्ता होने के दौरान स्वयं को कुचामन के आस–पास होना अवगत कराया जाने से जल्द ही पहुचने की सम्भावना होने से मन् उप अधीक्षक पुलिस मय हमराहियान के कार्यालय के वाहनों को साईड मे खडा कर मन् उप अधीक्षक पुलिस व स्वतन्त्र गवाहान श्री नरेन्द्र कुमार उप निरीक्षक पुलिस, श्री दामोदर प्रसाद कानि0, श्री अर्जुन लाल कानि0 के परिवादी को कार्यालय का डिजीटल वॉइस रेकार्डर मय मैमोरी कार्ड के संधारित कर चालु व बंद करने की समझाईश कर परिवादी को आरोपी से होने वाली वार्ता दर्ज करने हेतु सुपुर्द किया गया तथा मन् उप अधीक्षक पुलिस व हमराहियान स्टाफ व गवाहान के परिवादी के निवास स्थान मे बने हुए अन्य कमरे में सुरक्षित बैठकर आरोपी का ईन्तजार करने लगे तथा अन्य स्टाफ को परिवादी के मुख्य द्वार

की ओर बनी मुख्य सडक की ओर रवाना किया गया। सभी को हिदायत प्रदान की गई तथा सभी परिवादी द्वारा प्राप्त ईशारे के इन्तजार में खडे रहे। समय करीब 05.43 पीएम के आस–पास एक हष्ट–पुष्ट गहरे सांवले रंग का व्यक्ति मोटरसाईकिल से उतरकर परिवादी के निवास स्थान मे बने गेस्ट रूम मे प्रवेश करता हुआ नजर आया, समय करीब 05.54 पीएम पर परिवादी श्री मदनलाल सोनी ने मन् उप अधीक्षक पुलिस को अपने निवास स्थान मे बने गेस्ट रूम के मुख्य दरवाजे के पास आकर रिश्वत राशि प्राप्ति का पूर्व निर्धारित ईशारा किया। जिस पर ईशारा पाकर मन् उप अधीक्षक पुलिस मय हमराहियान स्टाफ सर्वश्री नरेन्द्र कुमार उ.नि, कन्हैयालाल स.उ.नि., श्री गोविन्द वर्मा हैड कानि., श्री राजेश कुमार हैड कानि., श्री कपिल कुमार कानि., श्री दामोदर कानि., श्री अर्जुनलाल कानि. व स्वतन्त्र गवाह श्री श्याम इन्दोरिया, टीकमचंद वर्मा के परिवादी श्री मदनलाल सोनी के गेस्ट रूम के मुख्य दरवाजे पर पहुचे। जहा परिवादी श्री मदनलाल सोनी ने मन् उप अधीक्षक पुलिस को कार्यालय का डिजीटल वॉइस रेकार्डर मय मैमोरी कार्ड अपनी पहने हुए कुर्ते की जेब से निकालकर प्रस्तुत किया, जिसका मेरे द्वारा अवलोकन करने के उपरान्त बंद किया जाकर कब्जा एसीबी लिया गया। तत्पश्चात परिवादी श्री मदनलाल सोनी ने अवगत कराया कि आरोपी श्री सरवर खां द्वारा मेरे से रिश्वत राशि 25,000 रू0 प्राप्त कर अपनी पहनी हुई जिंस की पेन्ट की दाहिनी जेब में रखे हैं। जिस पर मन् उप अधीक्षक पुलिस मय हमराहियान स्टाफ व गवाहान के परिवादी को साथ लेकर परिवादी के गेस्ट रूम मे पहुचे। जहा परिवादी श्री मदनलाल सोनी ने गेस्ट रूम मे सामने पंलग पर बैठे हुए एक व्यक्ति की ओर ईशारा कर बताया कि यही श्री सरवर खान चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी एडीजे कोर्ट डीडवाना है। जिन्होने अभी मेरे से 25,000 रू0 की रिश्वत राशि प्राप्त कर अपनी पहनी हुई जिंस की पेन्ट की दाहिनी जेब मे रखे है। जिस पर मन् उप अधीक्षक पुलिस द्वारा उक्त व्यक्ति को अपना व हमराहियान स्टाफ का परिचय देकर आने के मन्तव्य से अवगत कराकर उससे उसका परिचय पूछा तो उसने अपना नाम श्री सरवर खां पुत्र श्री अल्लादीन खान जाति कायमखानी उम्र 50 वर्ष निवासी भोमिया का वास छोटी छापरी पुलिस थाना डीडवाना हाल चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी एडीजे कोर्ट, डीडवाना जिला डीडवाना कुचामन होना बताया। मन् उप अधीक्षक पुलिस द्वारा आरोपी श्री सरवर खां को परिवादी श्री मदनलाल सोनी से 25,000 रू0 प्राप्त करने के सम्बन्ध मे पूछताछ की गई तो उपस्थित आरोपी ने अवगत कराया कि मैंने कोई रिश्वत राशि प्राप्त नहीं की है, इन्होने मुझे जबरदस्ती यह रूपये दिए है, जो मैंने अपनी पहनी हुई पेन्ट की दाहिनी जेब मे रखे है। इस पर उपस्थित परिवादी श्री मदनलाल सोनी ने स्वतः ही आरोपी की उक्त वार्ता का खण्डन करते हुए बताया कि आरोपी सरवर खान झूंठ बोल रहा है, इन्होने मेरे से मेरे भाई रामस्वरूप व उसके पुत्र पवन सोनी के विरूद्ध माननीय एडीजे कोर्ट डीडवाना के कोर्ट केस संख्या 21/22 मे हमारे पक्ष मे बरी का फैसला कराने की एवज मे दिनांक 08.11.23 को 50,000 रू0 की रिश्वत राशि की मांग करते हुए 25,000 रू0 पूर्व मे लेना स्वीकार करते हुए आज दिनांक को मेरे से 25,000 रू0 प्राप्त कर अपने दोनो हाथो से गिनकर अपनी पहनी हुई पेन्ट की दाहिनी जेब मे रखे है। जिस पर उपस्थित आरोपी सरवर खान ने बताया कि मेरे से गलती हो गई, मै आईन्दा इस तरह की गलती नहीं करूंगा, मेरी नौकरी चली जाएगी, मेरे बच्चे छोटे है, मै दुबारा गलती नहीं करूंगा यह कह कर जोर–जोर से रोने लगा। जिस पर मन् उप अधीक्षक पुलिस ने आरोपी श्री सरवर खान को तसल्ली देकर पूछा कि आप कोर्ट टाईम मे ही कोर्ट से कैसे रवाना होकर यहा बोरावड आ गए इस पर उपस्थित आरोपी ने अपने स्पष्टीकरण मे बताया कि मै कोर्ट टाईम मे ही जज साहब से पूछकर अपने बच्चे का ईलाज कराने कुचामन का कहकर निकला था। इस पर मन् उप अधीक्षक पुलिस ने आरोपी श्री सरवर खान को पूछा कि आप स्वय एडीजे कोर्ट डीडवाना मे चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के पद पर पदस्थापित है। आप परिवादी श्री मदनलाल के भाई श्री रामस्वरूप व भतीजे श्री पवन सोनी के कोर्ट केस संख्या 21/22 मे किस प्रकार से बरी कराने का फैसला कराने की बात कह रहे थे। इस पर आरोपी ने अपने स्पष्टीकरण मे बताया कि मै कोर्ट मे रीडर श्री संजय कुडी के कहेनुसार ही परिवादी श्री मदनलाल सोनी से उक्त रूपये लेने के लिए आया था। मेरे को श्री संजय कुडी ने कहा था कि आप श्री रामस्वरूप एवं पवन कुमार सोनी के प्रकरण मे उनके भाई श्री मदनलाल सोनी से वार्ता कर लेवें अपन मिलकर उनके प्रकरण मे उनके पक्ष मे फैसला करवा देंगे। जिस पर श्री संजय कुडी के कहेनुसार ही श्री मदनलाल सोनी से रिश्वत राशि के 50,000 रू0 की मांग की थी। जबकि श्री संजय कुडी ने मेरे को 60–70,000 रू0 लेने के लिए कहा था, परन्तु श्री

मदनलालजी से वार्ता होने के उपरान्त 50,000 रू0 दिये जाने की सहमति हुई थी। जिसके मुताबिक इन्होने मेरे को पूर्व मे 25,000 रू0 नगद ही दिए थे, जो मैंने लेकर 12,500 रू0 श्री संजय कुडी को दे दिए तथा 12,500 रू0 मैंने रख लिए थे। दिनांक 08.11.23 को श्री मदनलाल सोनी ने मेरे से मोबाईल फोन पर वार्ता की थी। जिसके मुताबिक मैंने इनसे 50,000 रू0 की मांग करते हुए पूर्व मे 25,000 रू0 लिया जाना स्वीकार करते हुए शेष 25,000 रू0 दिपावली के बाद मे लिए जाने हेतु वार्ता की थी उक्त 25,000 रू0 प्राप्त करने के सम्बन्ध मे श्री संजय कुडी रीडर के कहेनुसार मैंने इनको दिनांक 13–14.11.23 को भी वार्ता की थी तब इन्होने दिनांक 16.11.23 को शेष 25,000 रू0 देने हेतु कहा था। आज दिनांक 16.11.23 को दोपहर को करीब 2 बजे श्री मदनलालजी से जरिए मोबाईल फोन पर वार्ता हुई थी। जिसके मुताबिक आज दिनांक को 25,000 रू0 की रिश्वत राशि प्राप्त की थी। इस पर आरोपी श्री सरवर खान को श्री संजय कुडी से रिश्वत राशि के सम्बन्ध मे वार्ता करने हेतु कहा गया, तो उसने मना कर दिया, कि मेरे को किसी से कोई वार्ता नहीं करनी है। मै किसी दूसरे को नहीं फंसाना चाहता हूँ, मै स्वयं ही सजा भुगत लूंगा। इस पर मन् उप अधीक्षक पुलिस द्वारा आरोपी श्री सरवर खान को पुनः तसल्ली दी जाकर श्री संजय कुडी से वार्ता करने हेतु कहा तो उसने स्पष्ट मना कर दिया एवं कहा कि मैंने किसी के लिए भी कोई पैसे नहीं लिए है। इस पर आरोपी के दोनो हाथो को पोंचो के उपर से पकडवाया जाकर ट्रेप बॉक्स मे से दो पारदर्शी प्लास्टिक के गिलास निकलवाये जाकर परिवादी श्री मदनलाल के निवास स्थान से साफ पानी मंगवाया जाकर उक्त पारदर्शी प्लास्टिक के दोनो गिलासो को साफ पानी से धुलवाया गया। इसके बाद उक्त दोनो पारदर्शी गिलासो मे आधा–आधा साफ पानी भरवाकर दोनो पारदर्शी गिलासो मे एक–एक चम्मच सोडियम कार्बोनेट पाउडर डालकर घोल तैयार कर उपस्थितगण को दिखाया गया तो सभी ने उक्त घोल को रंगहीन होना स्वीकार किया। जिसमे अलग–अलग पारदर्शी प्लास्टिक के गिलासो के घोल में श्री सरवर खान के दाहिने व बांये हाथ की अंगुलियो एवं अंगूठे को बारी–बारी से डुबोकर धुलवाया गया तो दाहिने व बाए दोनो हाथ के धोवण का रंग गुलाबी प्राप्त हुआ, जिसे उपस्थितगणों ने गुलाबी होना स्वीकार किया। तत्पश्चात चार कांच की साफ शीशियो को साफ कर दाहिने हाथ के धोवण को दो शीशीयो में आधा–आधा भरकर व बायें हाथ के धोवण को दो शीशीयों में आधा–आधा भरकर चारों शीशीयों को सील्ड चिट किया जाकर दाहिने हाथ के धोवण को क्रमशः मार्क आरएच 1, आरएच 2 एवं बांये हाथ के धोवण को क्रमशः मार्क एलएच 1 व एलएच 2 चिन्हित कर चिट व कपडे पर सम्बन्धित के हस्ताक्षर करवाये जाकर कब्जा एसीबी लिया गया तथा पारदर्शी प्लास्टिक के गिलासो को नष्ट कराया गया। चूंकि आरोपी श्री सरवर खान द्वारा परिवादी श्री मदनलाल सोनी से 25,000 रू0 रिश्वत राशि प्राप्त कर अपनी पहनी हुई जिंस की पेन्ट की दाहिनी जेब मे रखी होना स्वीकार किया जाने व आरोपी श्री सरवर खान के दाहिने व बाएं हाथ के धोवण का रंग गुलाबी होना पाया जाने पर रिश्वत राशि प्राप्त करने की पूर्ण ताईद होने पर उपस्थित स्वतन्त्र गवाह श्री टीकमचंद वर्मा से आरोपी श्री सरवर खान चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी की जामा तलाशी लिवायी गई तो आरोपी के शरीर पर पहनी हुई जिंस पेन्ट की सामने की दाहिनी जेब मे 500–500 रूपये के नोट होना पाये गये, जिनको दोनो गवाहान से गिनवाया गया तो 500–500 रू0 के पचास नोट होकर कुल 25,000 रू0 होना पाये गए। उपरोक्त बरामदशुदा नोटो को दोनों स्वतन्त्र गवाहान से पूर्व में बनायी गई फर्द पेशकशी रिश्वत राशि से मिलान कराया गया तो नोटो के नम्बर हूबहू होना पाये गये। बरामदशुदा नोटों का विवरण इस प्रकार हैं :–

1	500 रूपये का एक नोट	नम्बर	0AQ	905400
2	500 रूपये का एक नोट	नम्बर	2QU	181037
3	500 रूपये का एक नोट	नम्बर	3DH	328909
4	500 रूपये का एक नोट	नम्बर	1HT	379574
5	500 रूपये का एक नोट	नम्बर	5FF	708957
6	500 रूपये का एक नोट	नम्बर	4KA	607225
7	500 रूपये का एक नोट	नम्बर	9DS	664253
8	500 रूपये का एक नोट	नम्बर	2SF	005414
9	500 रूपये का एक नोट	नम्बर	6KU	494153
10	500 रूपये का एक नोट	नम्बर	0TA	977348
11	500 रूपये का एक नोट	नम्बर	2FC	676604
12	500 रूपये का एक नोट	नम्बर	7GL	907923
13	500 रूपये का एक नोट	नम्बर	8MB	620806

14	500 रूपये का एक नोट	नम्बर	7DN	811703
15	500 रूपये का एक नोट	नम्बर	8AM	716553
16	500 रूपये का एक नोट	नम्बर	6DP	319112
17	500 रूपये का एक नोट	नम्बर	8PM	344054
18	500 रूपये का एक नोट	नम्बर	6RA	534879
19	500 रूपये का एक नोट	नम्बर	1AQ	579154
20	500 रूपये का एक नोट	नम्बर	1SR	770742
21	500 रूपये का एक नोट	नम्बर	0SP	625804
22	500 रूपये का एक नोट	नम्बर	8GH	087689
23	500 रूपये का एक नोट	नम्बर	8PH	799915
24	500 रूपये का एक नोट	नम्बर	7SR	639418
25	500 रूपये का एक नोट	नम्बर	0FW	943424
26	500 रूपये का एक नोट	नम्बर	1GF	050322
27	500 रूपये का एक नोट	नम्बर	9TD	565029
28	500 रूपये का एक नोट	नम्बर	3DH	839551
29	500 रूपये का एक नोट	नम्बर	8TQ	268703
30	500 रूपये का एक नोट	नम्बर	3KB	581268
31	500 रूपये का एक नोट	नम्बर	7BE	599776
32	500 रूपये का एक नोट	नम्बर	5KW	203498
33	500 रूपये का एक नोट	नम्बर	4AV	310301
34	500 रूपये का एक नोट	नम्बर	0EC	550744
35	500 रूपये का एक नोट	नम्बर	3CN	060510
36	500 रूपये का एक नोट	नम्बर	9CU	166197
37	500 रूपये का एक नोट	नम्बर	5QN	294587
38	500 रूपये का एक नोट	नम्बर	3HU	242822
39	500 रूपये का एक नोट	नम्बर	1QC	685956
40	500 रूपये का एक नोट	नम्बर	8MH	841771
41	500 रूपये का एक नोट	नम्बर	1QU	528078
42	500 रूपये का एक नोट	नम्बर	3MG	367220
43	500 रूपये का एक नोट	नम्बर	6AG	614541
44	500 रूपये का एक नोट	नम्बर	1FE	882670
45	500 रूपये का एक नोट	नम्बर	4MG	105566
46	500 रूपये का एक नोट	नम्बर	8PH	848965
47	500 रूपये का एक नोट	नम्बर	7GH	591393
48	500 रूपये का एक नोट	नम्बर	8EL	699860
49	500 रूपये का एक नोट	नम्बर	6AP	412044
50	500 रूपये का एक नोट	नम्बर	7DM	835796

उपरोक्त बरामदशुदा नोटों पर कपडे की चिट लगाकर चिट पर संबन्धित के हस्ताक्षर करवाये जाकर कब्जा एसीबी लिया गया। उपरोक्त समस्त कार्यवाही परिवादी के निवास स्थान पर सम्पादित की जाने पर परिवादी के परिवारजन के सदस्यों मे महिलाए व बच्चों के होने को दृष्टिगत रखते हुए असुविधा होने से अग्रिम ट्रेप कार्यवाही हेतु मन् उप अधीक्षक पुलिस मय समस्त हमराहियान, परिवादी तथा बरामदशुदा रिश्वत राशि नोट, धोवण की सिल्डशुदा शीशिया एवं आरोपी श्री सरवर खान के अग्रिम ट्रेप कार्यवाही हेतु परिवादी के निवास स्थान से वृत कार्यालय मकराना के लिए रवाना हुआ तो रास्ते मे बोरावड पैट्रोल पम्प चौराहे के आस–पास आरोपी श्री सरवर खान ने स्वतः ही सोचकर मन् उप अधीक्षक पुलिस को बताया कि मै संजय कुडी रीडर से वार्ता कर सकता हूँ, मैंने उसके कहे मुताबिक ही रिश्वत राशि श्री मदनलाल सोनी से ग्रहण की है। इस पर मन् उप अधीक्षक पुलिस द्वारा स्वतन्त्र गवाहान एवं हमराहियान स्टाफ की मौजुदगी मे आरोपी श्री सरवर खान के मोबाईल नं0 9413709932 से श्री संजय कुडी के मोबाईल नं0 9414547828 पर समय करीब 06.36 पीएम के आस–पास वार्ता करायी तो वार्ता के अनुसार संजय कुडी ने उक्त रूपये के सम्बन्ध मे इंकार करते हुए कहा कि मै ऐसे काम नहीं करता मै स्वयं उससे मिल लूंगा, यह कह कर श्री संजय कुडी ने अपना फोन बंद कर दिया। आरोपी व संजय कुडी के मध्य मोबाईल फोन पर हुई वार्ता को कार्यालय के डिजीटल वॉइस रेकार्डर मे संधारित मैमोरी कार्ड मे दर्ज की गई। उक्त दर्ज वार्ता को आरोपी के मोबाईल का स्पीकर ऑन कर दर्ज की गई। जिसकी आईन्दा कार्यालय पहुच फर्द ट्रांस्किप्ट तैयार की जावेंगी। अग्रिम ट्रेप कार्यवाही हेतु मन् उप अधीक्षक पुलिस मय उपरोक्त समस्त हमाहियान व बरामदशुदा आर्टिकल के समय करीब 07.05 पीएम पर वृताधिकारी वृत कार्यालय मकराना के कार्यालय मे पहुचा। जहा वृताधिकारी से जरिए दूरभाष सम्पर्क कर अग्रिम ट्रेप कार्यवाही

किए जाने हेतु निवेदन किया गया। जिस पर वृताधिकारी श्री भवानी सिंह शेखावत द्वारा अपने कार्यालय स्टाफ के उपस्थित होने का अवगत कराते हुए कार्यालय कक्ष मे बैठकर ट्रेप कार्यवाही की जाने हेतु सहमति प्रदान की। मन् उप अधीक्षक मय हमराहियान स्टाफ, गवाहान, आरोपी, परिवादी, बरामदशुदा माल वजह सबूत के वृत कार्यालय मकराना के कक्ष मे बैठकर अग्रिम ट्रेप कार्यवाही के तहत आरोपी श्री सरवर खान की जामा तलाशी श्री टीकमचंद वर्मा से लिवायी गई तो आरोपी के पहने हुए पेन्ट की पीछे की दाहिनी जेब से 500–500 रूपये के तीन नोट कुल 1,500 रू0, एक एसबीआई बैंक डीडवाना का आरोपी श्री सरवर खान के खाता संख्या 61028002300 का खाली चैक एवं स्वयं का आधार कार्ड की प्रति होना पाया गया। आरोपी के बुशर्ट की सामने की बायीं जेब मे एक मोबाईल फोन सैमसंग कम्पनी मॉडल जे–7 प्राईम फोन बरंग काला होना पाया गया, जिसमे एक सिम बीएसएनएल कम्पनी जिसके मोबाईल नं0 9413709932 होना अवगत कराया। आरोपी को जामा तलाशी मे मिली नगद राशि 1,500 रू0 एवं चैक के बारे मे पूछताछ की गई तो उसने बताया कि उक्त 1,500 रू0 मेरी वेतन बचत के है तथा उक्त खाली चैक जो मेरे स्वयं के खाते का है, जिसे मै अपनी निजी आवश्यकता की पूर्ति के लिए लेकर आया था। आरोपी के पास जामा तलाशी मे पाई गई नकद राशि एवं खाली चैक के बारे मे दिये गए स्पष्टीकरण को सन्तोषजनक मानते हुए उक्त खाली चैक, 1,500 रू0 नगद राशि एवं आधार कार्ड की प्रति आरोपी को सुपुर्द की गई। आरोपी श्री सरवर खान के द्वारा रिश्वत राशि 25,000 रू0 प्राप्त कर अपनी पहनी हुई जिंस की पेन्ट की दाहिनी जेब मे रखे जो उसकी पेन्ट की दाहिनी जेब से बरामद किये। जिंस पेंट की दाहिनी जेब का धोवण प्राप्त किया जाना आवश्यक होने से आरोपी श्री सरवर खान के पहनने हेतु एक अन्य पेन्ट की व्यवस्था कर शरीर पर पहनी हुई पेन्ट को ससम्मान उतरवाया जाकर अन्य पेन्ट पहनायी जाकर धोवण प्राप्त किये जाने हेतु प्रकियानुसार एक पारदर्शी प्लास्टिक के गिलास मे वृत कार्यालय मकराना से साफ पानी मंगवाया जाकर उक्त पारदर्शी प्लास्टिक के गिलास को साफ पानी से धुलवाया गया। इसके बाद उक्त पारदर्शी गिलास मे आधा साफ पानी भरकर पारदर्शी गिलास मे एक चम्मच सोडियम कार्बोनेट पाउडर डालकर घोल तैयार कर उपस्थितगण को दिखाया गया तो सभी ने उक्त घोल को रंगहीन होना स्वीकार किया। पारदर्शी प्लास्टिक के गिलास के घोल में श्री सरवर खान की जिंस की पेन्ट की दाहिनी जेब को उल्टवाकर डुबोकर धुलवाया गया तो धोवण का रंग गुलाबी प्राप्त हुआ, जिसे उपस्थितगणों ने गुलाबी होना स्वीकार किया। तत्पश्चात दो कांच की साफ शीशियो को साफ कर प्राप्तशुदा धोवण को दो शीशीयो में आधा–आधा भरकर शीशियों को सील्ड चिट किया जाकर क्रमशः मार्क पी–1 व पी–2 से चिन्हित कर चिट व कपडे पर सम्बन्धित के हस्ताक्षर करवाये जाकर कब्जा एसीबी लिया गया। पारदर्शी प्लास्टिक के गिलासो को नष्ट कराया गया। आरोपी की पहनी हुई जिंस की पेन्ट की दाहिनी जेब जहा से रिश्वत राशि बरामद हुई उक्त जेब को सुखाकर सम्बन्धित के हस्ताक्षर करवाये जाकर एक सफेद कपडे की थैली मे सिल्डचिट कर सम्बन्धित के हस्ताक्षर कराये जाकर मार्क "पी" अंकित कर कब्जा एसीबी लिया गया। आरोपी श्री सरवर खान को परिवादी श्री मदनलाल सोनी के भाई श्री रामस्वरूप एवं भतीजे श्री पवन सोनी के विरूद्ध माननीय एडीजे कोर्ट डीडवाना मे चल रहे कोर्ट केस संख्या 21/22 की पत्रावली के सम्बन्ध मे पूछताछ की गई तो आरोपी ने बताया कि मुझे उक्त पत्रावली के बारे मे कोई जानकारी नहीं है, मेरी जानकारी के अनुसार उक्त प्रकरण मे दिनांक 21.11.23 की आगामी तारीख पेशी नियत कर रखी है तथा उक्त प्रकरण गवाही मे चलकर विचाराधीन है। प्रकरण की पत्रावली माननीय एडीजे कोर्ट डीडवाना मे रखी हुई है। मन् उप अधीक्षक पुलिस द्वारा आरोपी श्री सरवर खान को दिनांक 08.11.23 को वक्त रिश्वत राशि मांग सत्यापन वार्ता का पेन–ड्राईव एवं आज दिनांक को वक्त लेन–देन के समय हुई दर्ज वार्ता को गवाहान व परिवादी के समक्ष आरोपी को सुनाई गई तो आरोपी ने दर्ज आवाज मे से एक आवाज अपनी व दूसरी आवाज परिवादी श्री मदनलाल सोनी तथा अन्य तीसरी दर्ज आवाज श्री संजय कुडी रीडर की होना स्वीकार किया, उक्त वार्ता स्वयं द्वारा अपने मोबाईल फोन से की जाना अवगत कराया। वक्त रिश्वत राशि लेन–देन से पूर्व एवं लेन–देन के समय दिनांक 16.11.23 को दर्ज की गई वार्ताओं की फर्द ट्रांस्क्रिप्ट आईन्दा तैयार कर शामिल पत्रावली की जावेंगी। बाद ट्रेप कार्यवाही सम्बन्धित घटना का नक्शा मौका घटनास्थल, फर्द गिरफ्तारी तैयार कर सम्बन्धित के हस्ताक्षर करवा शामिल पत्रावली की गई। आरोपी के निवास भोमिया का वास, छोटी छापरी पुलिस थाना डीडवाना जिला डीडवाना–कुचामन स्थित निवास स्थान की खाना

तलाशी लिए जाने हेतु श्री दीनदयाल निरीक्षक पुलिस भ्र0नि0ब्यूरो, अजमेर को निर्देशित किया हुआ है, जिसकी फर्द खाना तलाशी प्राप्त कर शामिल पत्रावली की गई।

उपरोक्त तथ्यों एवं सम्पूर्ण ट्रेप कार्यवाही से पाया गया कि परिवादी श्री मदनलाल पुत्र श्री हुकमीचन्द जाति सोनी उम्र 74 वर्ष निवासी बालाजी का बाग बोरावड तहसील मकराना जिला डीडवाना कुचामन के भाई श्री रामस्वरूप एवं उसके पुत्र श्री पवन कुमार के विरूद्ध माननीय एडीजे कोर्ट डीडवाना की सुनवाई में विचाराधीन कोर्ट केस सं0 21/22 मे बरी का फैसला करवाने की एवज में आरोपी श्री सरवर खान चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी एडीजे कोर्ट डीडवाना द्वारा अपने पद का दुरूपयोग कर दिनांक 08.11.23 को 50,000 रू0 की रिश्वत राशि की मांग कर पूर्व में 25,000 रू0 प्राप्त करना तथा शेष 25,000 रू0 की रिश्वत राशि की मांग किया जाना पाया जाने से दिनांक 16.11.23 को ट्रेप कार्यवाही का आयोजन कर आरोपी श्री सरवर खां पुत्र श्री अल्लादीन खान जाति कायमखानी उम्र 50 वर्ष जाति निवासी भोमिया का वास छोटी छापरी पुलिस थाना डीडवाना हाल चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी एडीजे कोर्ट, डीडवाना जिला डीडवाना कुचामन को परिवादी से दिनांक 08.11.23 को रिश्वत राशि मांग के अनुसरण मे वैद्य पारीश्रमिक भत्ते के अतिरिक्त 25,000 रू0 की रिश्वत राशि लेते हुए रंगे हाथो गिरफ्तार किया गया। रिश्वत राशि आरोपी की पहनी हुई जिंस की सामने की दाहिनी जेब से बरामद होना तथा आरोपी के दोनो हाथो के धोवण एवं वरवक्त शरीर पर पहनी हुई पेन्ट की दाहिनी जेब के धोवण से प्राप्त मिश्रण का रंग गुलाबी प्राप्त होना पाया गया है। इस प्रकार आरोपी श्री सरवर खां हाल चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी एडीजे कोर्ट, डीडवाना जिला डीडवाना कुचामन का उक्त कृत्य जुर्म अपराध अन्तर्गत धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण (यथा संशोधन 2018) अधिनियम 1988 का कारित करना पाया जाने से बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट कता की जाकर वास्ते क्रमांकन श्रीमान् महानिदेशक भ्र.नि. ब्यूरो राजस्थान जयपुर की सेवा में प्रेषित है। ट्रेप कार्यवाही मे एडीजे कोर्ट डीडवाना के रीडर श्री संजय कुडी की भूमिका अनुसंधान से स्पष्ट होगी।

(राकेश कुमार वर्मा)
उप अधीक्षक पुलिस,
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो,
स्पेशल यूनिट–अजमेर।

कार्यवाही पुलिस

प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त टाईप शुदा बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट श्री राकेश कुमार वर्मा, उप अधीक्षक पुलिस, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, स्पेशल यूनिट-अजमेर ने प्रेषित की है। रिपोर्ट के तथ्यों से जुर्म अन्तर्गत धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) में आरोपी श्री सरवर खां, पुत्र श्री अलादीन खां, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी, एडीजे कोर्ट डीडवाना, जिला डीडवाना कुचामन के विरूद्ध घटित होना पाया जाता है। अतः प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 295/2023 उपरोक्त धारा में पंजीबद्ध कर प्रतियाँ नियमानुसार जारी की गई। अनुसंधान जारी है।

(रणधीर सिंह)
उप महानिरीक्षक पुलिस,
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो,जयपुर।

क्रमांकः 3054-57

दिनांक 17.11.2023

प्रतिलिपिः-सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

1. विशिष्ठ न्यायाधीश एवं सैशन न्यायालय, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, जोधपुर प्रथम।
2. जिला एवं सेशन न्यायालय, मेडता शहर।
3. उप महानिरीक्षक पुलिस, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, अजमेर।
4. अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, एस.यू. अजमेर।

(रणधीर सिंह)
उप महानिरीक्षक पुलिस,
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो,जयपुर।